रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)-33 REGISTERED No. D. (DJ)-33

CK 27/3/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 543] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18 1985/अग्रहायण 27, 1907
No. 543] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 1985/AGRAHAYANA 27, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल-भूतल परिवहन विभाग)

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1985

अधिसूचनाएं

सा. का. नि. 905 (अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 11 और 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तूतीकोरिन पत्तन के न्यासी मंडल में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, तूतीकोरिन का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री पी. पॉन सुब्बैया के बदले श्री एम. एस. ताजुदीन का नाम अधिसूचित करती है और भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 334(अ) दिनांक 31 मार्च, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"18 श्री एम. एस. ताजुदीन—इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, तूतीकोरिन का प्रतिनिधि"

[फाइल सं. पी. डब्ल्यू./पी. टी. बी -8/85]

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

(Ports Wing)

New Delhi, the 18th December, 1985

NOTIFICATIONS

G.S.R. 905(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (6) of section 3 and section 11 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby notifies the name of Shri M. S. Thajudeen elected to be a Trustee on the Board of Trustees of the Port of Tuticorin vice Shri P. Pon Subbiah, to represent the Indian Chamber of Commerce and Industry, Tuticorin and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 334(E), dated the 31st March, 1985, namely :—

In the said notification after Serial Number 17 and the entry relating thereto, the following Serial Number and entry shall be inserted, namely :—

"18. Shri M. S. Thajudeen—Representing the Indian Chamber of Commerce and Industry, Tuticorin".

[F. No. PW|PTB-8|85]

सा. का. नि. 906(अ):—केंद्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1)(6) के साथ पठित धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता पत्तन के न्यासी मंडल में कलकत्ता नगर निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री भोला बोस के बदले श्री शांति रंजन बैगल को नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 232(अ) दिनांक 29 मार्च, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 20 के सामने "श्री भोला बोस" प्रविष्टि के स्थान पर "श्री शांति रंजन बैगल" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[फाइल सं. पी. डब्ल्यू./पी. टी. बी.-12/85]

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

G.S.R. 906(E).—In exercise of the powers conferred by section 10, read with sub-section (1)(6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri Santi Ranjan Bagal, a Trustee on the Board of Trustees of the Port of Calcutta to represent the Calcutta Municipal Corporation vice Shri Bhola Bose, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 232(E), dated 29 Mareh, 1984, namely :—

In the said notification, against Serial Number 20, for the entry "Shri Bhola Bose", the entry "Shri Santi Ranjan Bagal", shall be substituted.

[F. No. PW/PTB-12/85]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986